

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.-भूप्रआ/समु/आरआर./11/2/4/09-10/

दिनांक:

भू-प्रबन्ध अधिकारी,  
कोटा ।

विषय:- तहसील किशनगंज के 74 ग्रामों की बन्द अधिसूचना की प्रति भेजने बाबत ।

प्रसंग :- राजस्व ग्रुप-1 विभाग का पत्रांक प.13(34)राज-1/2009  
दिनांक 28.6.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा तहसील किशनगंज के 74 ग्रामों की बन्द अधिसूचना दिनांक 28.6.2017 अन्तर्गत धारा 106,107 एवं 108 प्रसारित कर भिजवाई है जिसकी छाया प्रतियां सलग्न प्रेषित कर लेख है कि उक्त ग्रामों का नवीन अभिलेख राजस्व एजेन्सी को 15 दिवस में सम्भलाकर सूचना मुख्यालय को भी भिजवावें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

३-

(अरुण गर्ग)

अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 2010

दिनांक:- 28-7-17

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रोग्रामर, मुख्य कार्यालय को अधिसूचना की एक-एक छाया प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

अति०भू-प्रबन्ध आयुक्त,  
राजस्थान, जयपुर



राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(34)राज.-1/2009

जयपुर, दिनांक 28 JUN 2017

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-106 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य अधिसूचना क्रमांक क्रमशः प0 13(15)राज./ग्रुप-1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./ग्रुप-1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./ग्रुप-1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 74 ग्रामों (संलग्न सूची अनुसार) का सर्वेक्षण/तरमीम पूर्ण करवाया जा चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने के दिनांक से उक्त ग्राम में पुनः सर्वेक्षण/तरमीम कार्य बन्द घोषित किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार सूची

राज्यपाल की आज्ञा से

३७

(एस.आर.पिलानिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009-10/2891 दिनांक 13.07.2016
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

KR-127  
18/7/17

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग  
राज., अजमेर  
पत्र-प्रतिलिपि  
क्रमांक 470

संयुक्त शासन सचिव



ऐसे ग्रामों की सूची जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है एवं श्रीमान् के निर्देशन के क्रम में भू प्रबन्ध संकियाएँ बंद कराये जाने के प्रस्ताव पुनः भिजवाये जा रहे हैं।

क्र.स.	नाम ग्राम	क्र.स.	नाम ग्राम	क्र.स.	नाम ग्राम
1	खण्डेला	26	सेगल्या सोपान	51	खेडली लालगंज
2	धिण्डालिया	27	बृजनगर	52	लाखा खेडी उर्फ रामपुरा
3	बावचा	28	उदपुरिया	53	पीपल्दा (छीनोद)
4	आमखेडी	29	मधेपुरा	54	करणपुरा
5	फल्दी	30	लोलक्या	55	बालापुरा
6	कदीली	31	ठूगनी	56	ढोलपुर
7	राधापुरा	32	नल्दा	57	झागर
8	रामविलास	33	गोबरचा	58	रामपुरा टोडिया
9	गोरधनपुरा	34	चैनपुरा	59	पाली
10	पिपल्दा (घट्टी)	35	बन्दाकलां	60	मोयदा
11	तलावडा	36	चारपुरा	61	सीमल्या
12	पीपल्दा कलां	37	ब्रह्मपुरा उर्फ वीरमपुरा	62	अमरोली
13	पीपल्दा खुर्द	38	फतेहपुरा काचरा	63	शाहपुरा (मिसाई)
14	श्रीपुरा	39	जगदीशपुरा उर्फ प्रेमपुरा	64	बालापुरा (जलवाडा)
15	शिगरी	40	नीमोदा (तीरान)	65	सावतखेडी
16	शिमलोद	41	बन्दाखुर्द	66	लाटखेडा
17	नोरदा	42	पीतामपुरा	67	खल्दा
18	बडौदिया	43	दौलतपुरा	68	लालगंज
19	पांचू की टापरी उर्फ पंचमपुरा	44	खेडली	69	प्रेमपुरा
20	चकलोलक्या	45	खल्दी	70	भकरावदा
21	गदनपुरा	46	पचलावदा	71	महरावता
22	भवानीपुरा	47	सदाफल	72	रनवासा
23	बालाखेडा	48	बम्बोरो मोहन	73	सुहावन
24	बरुनी	49	आकोदिया	74	रामगढ
25	रघुरूप पुरा	50	गजरा गजरी		

(श्रीकान्त व्यास)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी,  
कोटा



राजस्थान सरकार  
राजस्व (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प0 13(34)राज.-1/2009

जयपुर, दिनांक 28 JUN 2017

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा-107 व 108 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि तहसील किशनगंज जिला बारां के समस्त ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य अधिसूचना क्रमांक क्रमशः प0 13(15)राज./गुप-1/2002 दिनांक 28.05.2009, प0 13(4)राज./गुप-1/2010 दिनांक 29.06.2010 एवं प0 13(16)राज./गुप-1/2011 दिनांक 15.12.2011 के द्वारा प्रारम्भ किया गया था तथा निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु भू-प्रबन्ध अधिकारी कोटा को अपर भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया था। चूंकि उक्त तहसील के समस्त ग्रामों में से 74 ग्रामों में अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः इस अधिसूचना के प्रसारण होने की दिनांक से उक्त ग्रामों (संलग्न ग्रामों की सूची अनुसार) के अभिलेखों का आंशिक पुनः निरीक्षण कार्य बन्द घोषित किया जाकर अपर भू-अधिकारी की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

३०

(एस.आर.पिलानिया)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर।
2. जिला कलक्टर, बारां।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक भूप्रआ/समु/भूकर/11/2/4/2009-10/2891 दिनांक 13.07.2016
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर प्रकाशित विज्ञप्ति की एक प्रति इस विभाग एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भिजवाने का कष्ट करें।
5. भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

RR-120  
17/7/17

कार्यालय भू-प्रबन्ध विभाग राज., जयपुर पत्र-प्राप्ति
क्रमांक 469